न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 130/2025/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़
दायरा दिनांकः 06.05.2025
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. घनश्याम पुत्र घांसी लाल
2. फुलवन्ती पुत्री घांसी लाल
3. बद्रीलाल पुत्र घांसी लाल
4. मोहन लाल पुत्र घांसी लाल
5. रेखा पुत्री घांसी लाल
6. विनोद पुत्र घांसी लाल
7. प्रेम बाई पत्नी घांसी लाल

जाति भील निवासीगण ग्राम खण्डिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झालरापाटन, जिला झालावाड़

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अशोक कुमार गुप्ता, अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 12.09.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या 45/प्रार्थना–पत्र/2024 बउनवान घनश्याम बनाम सरकार में अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2025 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट पेश कर अनुरोध किया गया कि नक्शा ट्रेस व नक्शा (ऑनलाईन) में आराजी खसरा सं0 447/94 रकबा 0.3161 है0 नक्शे में खसरा संख्या 100 के दक्षिण हिस्से तक दर्ज की जावे तथा नक्शा ट्रेस व नक्शा

अति. सं. आयुक्त
कोटा

(ऑनलाईन) में खसरा सं0 447/94 रकबा 0.3161 है0 को मौके पर कब्जे के अनुसार खसरा सं0 100 के दक्षिण हिस्से तक नक्शे में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत आराजी खसरा सं0 447/94 की तरमीम रिकोर्ड एवं मौके अनुसार सही होना मानते हुए तदनुसार उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 10.03. 2025 से खारिज किया गया।

2. अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.03.2025 से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया गया कि अपीलान्ट के कब्जे एवं काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम खण्डिया पटवार हल्का गिन्दोर भू–अभिलेख निरीक्षक झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड के माल में स्थित है, जिसके खाता संख्या नया 61 पुराना 61 की खसरा नम्बर 447/94 रकबा 0.3161 बजंड अपीलान्ट के नाम खाते दर्ज है। उपरोक्त कृषि आराजीयात के संबंध में जो ऑनलाइन नक्शा तरमीम किया गया, उसमें उपरोक्त सम्पत्ति को खसरा नम्बर 446/94 के दक्षिण व खसरा नम्बर 94/295 के लगवा पूर्व दिशा में त्रिभुजाकार दर्शा रखा है। जबकि उपरोक्त कृषि आराजीयात खसरा सख्या 447/94 की रकबा 0.3161 है० खसरा नम्बर 100 के दक्षिण दिशा के हिस्से तक फैला हुआ है, जो खसरा नंबर 100 के दक्षिण दिशा तक पूरा होता है तथा उपरोक्त हिस्सा खसरा नम्बर 100 के दक्षिण हिस्से तक दर्शित होना चाहिए। लेकिन नक्शे में राजस्व कर्मचारियों ने गलती कर उपरोक्त खसरे को गलत रूप से खसरा नमबर 446/94 व खसरा नम्बर 94/295 के लगवा दर्शा रखा है। इस संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.03.2025 को अपीलांट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.03.2025 गैर कानूनी है, जो निरस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिनांक 10.03.2025 पारित किया गया है, उससे पूर्व अपीलान्ट को ना तो सुना गया और ना ही अपीलान्ट की और से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को गौर फरमाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर यह कहते हुए कि "प्रार्थी/अपीलान्ट खसरा नम्बर 100 की भूमि पर कब्जा करना चाहता है" प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जबकि अपीलान्ट ने स्पष्ट रूप से यह अंकित किया कि उसकी अन्य खाते की भूमि के साथ लगवा यह भूमि स्थित है जो खसरा संख्या 100 के दक्षिण हिस्से तक जाकर पूर्ण होती है और उसी अनुरूप में नक्शे में दर्शित होना चाहिए लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर किए बिना ही

अति. सं. आयुक्त
कोटा

आदेश दिनांक 10.03.2025 पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2025 बिना अपीलांट को सुने पारित किया गया है, जो नोन–स्पीकिंग आदेश की परिधि में आता है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश पारित करते समय दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त विस्तृत रूप से प्रस्तुत रिपोर्ट व साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार नक्शा ट्रेस व ऑनलाइन नक्शा में मौके की स्थिति व कब्जे के अनुसार इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाने चाहिए थे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र अनुमानों के आधार पर बिना न्यायिक दृष्टिकोण अपनाये आदेश दिनांक 10.03.2025 पारित किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.03.2025 अपास्त फरमाया जावे तथा खसरा सं0 447/94 की रकबा 0.31 है0 ग्राम खण्डिया पटवार हल्का गिन्दोर जिला झालावाड़ के संबंध में कब्जे एवं मौके के आधार पर नक्शा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी खसरा सं0 447/94 अपीलांट के खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त आराजी पर मौके पर कब्जा अपीलांट का है, जो कि खसरा सं 100 की दक्षिण दिशा में है। धीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार नक्शा ट्रेस व ऑनलाइन नक्शा में मौके की स्थिति व कब्जे के अनुसार इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाने चाहिए थे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या 315/95 बउनवान घांसी लाल जरिये का0 मु0 पांची बाई बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2002 में तनकीयात कायम कि गई थी कि "ग्राम खण्डिया की आराजी खसरा सं0 94 की 22 बीघा 5 बिस्वा बंजड़ सिवायचक काबिल काश्त भूमि है, जिसके पश्चिमी किनारे की 4 बीघा भूमि पर उसके पति के जमाने से ही आज तक कब्जा चला आ रहा है" जो वादी के पक्ष में निर्णित की गई थी।

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

अपीलांट की आराजी पर समाधि एवं चबूतरा बना हुआ है तथा अपीलांट प्रारम्भ से ही इसी भूमि पर काबिज हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर यह कहते हुए कि "प्रार्थी/अपीलान्ट खसरा नम्बर 100 की भूमि पर कब्जा करना चाहता है" प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.03.2025 अपास्त फरमाया जावे तथा खसरा सं0 447/94 की रकबा 0.31 है0 ग्राम खण्डिया पटवार हल्का गिन्दोर जिला झालावाड़ के संबंध में कब्जे एवं मौके के आधार पर नक्शा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होना जाहिर किया।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट पेश कर अनुरोध किया कि नक्शा ट्रेस व नक्शा (ऑनलाईन) में आराजी खसरा सं0 447/94 रकबा 0.3161 है0 नक्शे में खसरा संख्या 100 के दक्षिण हिस्से तक दर्ज की जावे तथा नक्शा ट्रेस व नक्शा (ऑनलाईन) में खसरा सं0 447/94 रकबा 0.3161 है0 को मौके पर कब्जे के अनुसार खसरा सं0 100 के दक्षिण हिस्से तक नक्शे में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ के द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, झालरापाटन से प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कर मौका एवं रिकोर्ड अनुसार बिन्दुवार रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, झालरापाटन के द्वारा दिनांक 13.12.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि खसरा सं0 447/94 रकबा 0.3161 है0 बजंड़ खाता 61 में खातेदार घनश्याम, प्रेमबाई, फूलवंती, बद्रीलाल, मोहनलाल, रेखा, विनोद पिसरान एवं बेवा घांसीलाल जाति भील सह देह के नाम दर्ज रिकोर्ड है। खसरा सं0 447/94 की तरमीम नक्शा में हो रही है, जो मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सही है। वर्तमान नक्श एवं ऑनलाईन नक्श में तरमीम सही हो रही है। इस प्रकार तहसीलदार, झालरापाटन के द्वारा प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का नहीं बनना तथा खसरा सं0 100 जो मौके पर पड़त है, पर

अति. सं. आयुक्त
कोटा

प्रार्थी/अपीलांट का कब्जा करना जाहिर करते हुए प्रकरण में तरमीम के सही होने की रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिनांक 10.03.2025 पारित किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में उक्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न हीं कोई साक्ष्य अपने पक्ष को साबित किये जाने हेतु पेश किये। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष जो अनुतोष चाहा गया है उसमें प्रश्नगत आराजी खसरा सख्या 447/94 की रकबा 0.3161 है० का हिस्सा खसरा नम्बर 100 के दक्षिण हिस्से तक दर्शित होना चाहा गया। इस संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु अपीलांट के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये, जिससे उक्त कथन की पुष्टि होती हो। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या 315/95 बउनवान घांसी लाल जरिये का0 मु0 पांची बाई बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2002 की प्रति पेश की गई। उक्त प्रस्तुत दस्तावेज भूमि के नियमन से संबंधित है, जो प्रश्नगत आराजी के इन्द्राज दुरूस्ती के संबंध में साबित नहीं होते है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2025 में किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

12/09/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति०संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा